ए.

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

बनाम

प्रबोध कुमार तिवारी

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1260)

बी.

16 अगस्त, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881।138, 139 – चेक में भरे गए विवरण को निर्धारित करने के लिए हस्त-लेखन विशेषज्ञ की नियुक्ति-प्रत्यर्थी स्वीकार करता है कि उसने एक खाली चेक पर हस्ताक्षर किए और अपीलार्थी को सौंप दिया-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को यह निर्धारित करने के लिए एक हस्त-लेखन विशेषज्ञ को नियुक्त करने की अनुमति दी कि क्या चेक में भरे गए विवरण प्रत्यर्थी की लिखावट में थे-आयोजितःएक दराज़दार जो एक चेक पर हस्ताक्षर करता है और इसे प्राप्तकर्ता को सौंपता है, उसे तब तक उत्तरदायी माना जाता है जब तक कि दराज़दार इस धारणा का खंडन करने के लिए सबूत नहीं देता है कि चेक ऋण के भुगतान या देयता के निर्वहन के लिए जारी किया गया है।139 – हस्त-लेखन विशेषज्ञ का यह साक्ष्य कि क्या प्रत्यर्थी ने चेक में विवरण भरा था, यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा कि किस उद्देश्य के लिए चेक सौंपा गया था-इसलिए, हस्त-लेखन विशेषज्ञ के साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन को अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है।बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार (2019) 4 एस. सी. सी. 197:[2019] 2 एससीआर 24; रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) 11 एससीसी 441

सी.

डी.

ई.

:[2010] 6 एस**.** सी**.** आर**. 507-**निर्भर।

एफ.

कलामनी टेक्स बनाम पी**.** बालासुब्रमण्यन **(2021) 5** एससीसी **283:2021 (2)** जे**.** टी**. 519;** एन्स राजशेखर बनाम ऑगस्टस जेबा

अनंत (2020) 15 एस. सी. सी. 328:[2019] 1 एस. सी. आर. 731-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

जी.

[2019] 2 एससीआर **24**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **14**

[2019] 1 एससीआर **731**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[2010] 6 एससीआर **507**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **16**

एच.

72 ए.

73

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम प्रबोध कुमार तिवारी ए

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 1260।

सी. आर. एल. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 24.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेशों से। 2019 का एम. सी. सं. 1792।

अंबर कमरुद्दीन, तेजस्वी कुमार, सैयद सरफराज करीम, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

बी.

माधव खुराना, सुश्री साक्षी कक्कड़, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सी.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 24 जुलाई 2019 के एक फैसले उद्भूत हुई है है।

3. अपीलार्थी परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही में शिकायतकर्ता है।वह एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर सवाल उठाना चाहते हैं जिसके द्वारा उत्तरदाताओं को एक हस्त-लेखन विशेषज्ञ को इस बात पर राय लेने के लिए नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी कि क्या "प्रश्न किए गए लेखन पर लेखकत्व" (विवादित चेक) का श्रेय उत्तरदाताओं को दिया जा सकता है।

डी.

4. प्रत्यर्थी स्वीकार करता है कि उसने हस्ताक्षर किए और अपीलार्थी को एक चेक सौंपा। प्रत्यर्थी के अनुसार उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक खाली चेक सौंपा गया था।अपील में जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को यह निर्धारित करने के लिए एक हस्त-लेखन विशेषज्ञ को नियुक्त करने की अनुमति दी थी कि क्या चेक में भरे गए विवरण प्रत्यर्थी के हाथ में थे।नीचे दिए गए कारणों से, हमने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस अपील को इस कारण से स्वीकार किया है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 139 यह धारणा उठाती है कि उसके द्वारा हस्ताक्षरित चेक सौंपने वाला दराज़दार तब तक उत्तरदायी है जब तक कि यह मुकदमे में सबूत पेश करके साबित नहीं हो जाता है कि चेक ऋण या दायित्व के निर्वहन में नहीं था।एक हस्त-लेखन विशेषज्ञ का यह साक्ष्य कि क्या प्रत्यर्थी ने चेक में विवरण भरा था, यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा कि किस उद्देश्य के लिए चेक सौंपा गया था। इसलिए, हस्त-लेखन विशेषज्ञ के साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन की अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

ई.

एफ.

जी.

1 “एन. आई. अधिनियम "

एच.

5. अपीलार्थी बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 के तहत गठित एक निगमित निकाय है।अपीलार्थी के अनुसार, पांच कंपनियों के एक संघ, अर्थात् (i) सेंचुरी कम्युनिकेशंस लिमिटेड, (ii) पिक्सियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, (iii) पर्ल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, (iv) पिक्सियन विजन प्राइवेट लिमिटेड और (v) पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड ने अपीलार्थी से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया।इन कार्यवाहियों की स्थापना की तारीख तक संघ का कुल बकाया 1200 करोड़ रुपये से अधिक होने का आरोप है।यह आरोप लगाया गया है कि प्रथम प्रत्यर्थी (ट्रायल कोर्ट के समक्ष ए-2) ने उपरोक्त पांच कंपनियों के बकाया के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक, डिफेंस कॉलोनी शाखा, नई दिल्ली से निकाले गए 5.57 करोड़ रुपये की राशि में सेंचुरी कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खाते से 26 दिसंबर 2011 को 387172 नंबर का एक चेक सौंपा।अपीलार्थी के अनुसार, इसके साथ उसी तारीख का एक पत्र था, जिसमें संदर्भ संख्या सी. सी. एल./ओ. बी. सी./036/2011 थी, जिसमें जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंत में चेक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।चेक को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 25 मई 2012 को "अपर्याप्त धन" टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया था।6. 5 जून 2012 को एक कानूनी नोटिस जारी करने के बाद, अपीलार्थी ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, द्वारका अदालत, नई दिल्ली के न्यायालय के समक्ष 2012 की सी. सी. संख्या 3065 के रूप में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2 की धारा 251 के तहत पहले और दूसरे प्रत्यर्थी के खिलाफ नोटिस बनाए गए थे।

बी.

सी.

डी.

ई.

7. मुकदमे के दौरान, 12 फरवरी 2018 को, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पहले और दूसरे उत्तरदाताओं के बयान दर्ज किए। पहले प्रत्यर्थी ने कहा है कि वह सभी पाँच कंपनियों में निदेशक है; वह एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था; और सुरक्षा के लिए उसके द्वारा एक खाली हस्ताक्षरित चेक दिया गया था।इसलिए, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि चेक पर पहले प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर हैं।

एफ.

8. प्रथम और द्वितीय प्रत्यर्थी ओं ने परीक्षण न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें सरकारी हस्त-लेखन विशेषज्ञ द्वारा चेक, नमूना हस्ताक्षर और प्रथम प्रत्यर्थी की लिखावट की जांच करने की मांग की गई।21 फरवरी 2019 को ट्रायल जज द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया था।

जी.

2 “सीआरपीसी "

एच.

75

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम प्रबोध कुमार तिवारी [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

9. प्रथम और द्वितीय उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय में अपील की।उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2019 के विवादित आदेश में कहा कि सरकारी हस्त-लेखन विशेषज्ञ की जांच की अनुमति देने का कोई अवसर नहीं है।हालांकि, एकल न्यायाधीश ने फिर भी प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिका को इस हद तक स्वीकार कर लिया कि उन्हें विवादित 'लेखन' की जांच के उद्देश्य से एक हस्त-लेखन विशेषज्ञ को नियुक्त करने की अनुमति दी गई है।

बी.

10. हमने अपीलार्थी के वकील श्री अमर कमरुद्दीन और प्रत्यर्थियों के वकील श्री माधव खुरान को सुना है।

11. सुनवाई के दौरान, यह विवाद में नहीं है कि पहले प्रत्यर्थी ने चेक पर हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की है।

सी.

12. अपीलार्थी की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि यह मानते हुए भी कि जैसा कि पहला प्रत्यर्थी प्रस्तुत करता है, कि चेक में विवरण दराज़दार द्वारा नहीं भरे गए थे, इससे दराज़दार के दायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

डी.

13. एन. आई. अधिनियम की धारा 139 में कहा गया हैः

139. धारक के पक्ष में अनुमान।- यह अनुमान लगाया जाएगा,

जब तक इसके विपरीत यह साबित नहीं हो जाता है कि चेक धारक को किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है।

ई.

14. बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार, 3 में इस मुद्दे पर इस न्यायालय की पूर्ववर्ती व्यवस्था पर चर्चा करने के बाद, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया:33. विशेष रूप से धारा 20,87 और 139 सहित परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों को सार्थक रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति जो एक चेक पर हस्ताक्षर करता है और इसे प्राप्तकर्ता को सौंप देता है, वह तब तक उत्तरदायी रहता है जब तक कि वह इस धारणा का खंडन करने के लिए सबूत प्रस्तुत नहीं करता है कि चेक ऋण के भुगतान या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था।इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि

एफ.

यदि चेक पर ड्रॉअर द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं तो हो सकता है कि चेक ड्रॉअर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा गया हो।अगर

चेक अन्यथा वैध है, धारा 138 के दंडात्मक प्रावधान आकर्षित किए जाएंगे।

जी.

34. यदि हस्ताक्षरित खाली चेक स्वेच्छा से किसी प्राप्तकर्ता को कुछ भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है**,** तो प्राप्तकर्ता भुगतान कर सकता है।

3 (2019) 4 एससीसी 197

एच.

राशि और अन्य विवरण।यह अपने आप में चेक को अमान्य नहीं करेगा।सबूत पेश करके यह साबित करने की जिम्मेदारी अभी भी आरोपी पर होगी कि चेक ऋण या दायित्व के निर्वहन में नहीं था।

[...]

बी.

36. यहां तक कि अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से हस्ताक्षरित और सौंपा गया एक खाली चेक पत्र, जो कुछ भुगतान के लिए है, यह दिखाने के लिए किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में कि चेक ऋण के निर्वहन में जारी नहीं किया गया था, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान को आकर्षित करेगा।

सी.

(जोर दिया गया**)**

उपरोक्त विचार को हाल ही में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया था

कलामनी ग्रंथ बनाम पी. बालासुब्रमण्यम में इस न्यायालय का।4

15. एक दराज जो एक चेक पर हस्ताक्षर करता है और इसे प्राप्तकर्ता को सौंपता है, उसे तब तक उत्तरदायी माना जाता है जब तक कि दराज इस धारणा का खंडन करने के लिए सबूत नहीं देता है कि चेक ऋण के भुगतान या देयता के निर्वहन के लिए जारी किया गया है।यह धारणा धारा 139 के तहत उत्पन्न होती है।

डी.

16. ए. एन. एस. राजशेखर बनाम ऑगस्टस जेबा अनंत में, 5 दो न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ, जिसमें हममें से एक (जे. डी. वाई. चंद्रचूड़) एक हिस्सा थे, ने एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान पर रंगप्पा बनाम श्री मोहन 6 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को दोहराया। न्यायालय ने कहाः

ई.

12. अधिनियम की धारा 139 में कहा गया है कि यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है कि चेक धारक ने इसे ऋण या दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन में प्राप्त किया है।"जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता" अभिव्यक्ति इंगित करती है कि अधिनियम की धारा 139 के तहत धारणा खंडन योग्य है।इसे "रिवर्स ऑनस क्लॉज" का एक उदाहरण बताते हुए रंगप्पा में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह निर्धारित करने में कि क्या अनुमान का खंडन किया गया है, आनुपातिकता की परीक्षा को निर्धारण का मार्गदर्शन करना चाहिए।अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान के खंडन के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की अधिकता द्वारा निर्देशित है।इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

एफ.

जी.

4 (2021) 5 एससीसी 283 5 (2020) 15 एससीसी 348 6 (2010) 11 एससीसी 441 ए

एच.

“28. बाध्यकारी औचित्य के अभाव में, विपरीत दायित्व खंड आमतौर पर एक साक्ष्य बोझ लगाते हैं न कि एक प्रेरक बोझ।इसे ध्यान में रखते हुए, यह एक समझौता है

स्थिति यह है कि जब किसी अभियुक्त को धारा **139** के तहत अनुमान का खंडन करना पड़ता है**,** तो ऐसा करने के लिए प्रमाण का मानक "संभावनाओं की प्रधानता" है।इसलिए**,** यदि अभियुक्त एक संभावित बचाव करने में सक्षम है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करता है**,** तो अभियोजन पक्ष कर सकता है

बी.

असफल हो जाते हैं।जैसा कि उद्धरणों में स्पष्ट किया गया है, अभियुक्त इस तरह के बचाव को उठाने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा कर सकता है और यह कल्पना की जा सकती है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को अपने स्वयं के साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।"

सी.

(जोर दिया गया**)**

17. इस तरह के निर्धारण के लिए, यह तथ्य कि चेक में विवरण दराज़ द्वारा नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा गया है, महत्वहीन होगा।चेक पर हस्ताक्षर करने पर जो धारणा उत्पन्न होती है, उसका केवल एक हस्त-लेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट से खंडन नहीं किया जा सकता है। भले ही चेक में विवरण दराज द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा गया हो, यह बचाव पक्ष के लिए प्रासंगिक नहीं है कि चेक ऋण के भुगतान के लिए जारी किया गया था या देयता के निर्वहन के लिए।

डी.

18. निस्संदेह, यह उत्तरदाताओं के लिए अन्य सभी बचावों को उठाने के लिए खुला होगा जो वे वैध रूप से अपनी याचिका के समर्थन में उठाने के हकदार हो सकते हैं कि चेक पहले से मौजूद ऋण या बकाया देयता के अनुसरण में जारी नहीं किया गया था।

ई.

19. इन परिस्थितियों में, अपील की अनुमति दी जाती है और 24 जुलाई 2019 के दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के विवादित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है।24 जुलाई 2019 के विवादित आदेश के अनुसरण में प्राप्त रिपोर्ट पर मुकदमे के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

एफ.

20. हस्त-लेखन विशेषज्ञ की जांच के लिए प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन परिस्थितियों में खारिज हो जाएगा।वर्तमान आदेश मुकदमे के दौरान मुकदमे के गुण-दोष या संबंधित पक्षों के अधिकारों और तर्कों को प्रभावित नहीं करेगा।21. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

एच.